

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

नाम में परिवर्तन का आवेदन पत्र

नोट :

- आवेदक पृष्ठ संख्या चार-4 पर दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार आवेदन पत्र भरें, अति सावधानी से बोर्ड प्रमाण पत्र के अनुसार नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) लिखना अनिवार्य है।
- आवेदक को अपने पुराने नाम के साथ आवेदन पत्र और हलफनामा पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं (पुराना नाम)पुत्र/पुत्री श्रीएनरोलमेंट (यदि कोई है।)..... सविधि व सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस विषय में बोर्ड की मंजूरी/सहमति से मैंने मेरा नामसे अब बदल लिया है और यह कि

(क) मैं नाबालिग हूँ और मेरे माता-पिता/संरक्षक द्वारा न्यायाधिकारी के सामने शपथपत्र/हलफनामा दिया गया/मैं बालिग हूँ और मेरे द्वारा न्यायाधिकारी के सामने दिया गया शपथपत्र/हलफनामा संलग्न है।

- संलग्न बैंक डिमांड ड्राफ्ट नं० दिनांकमूल्य रु०..... सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के पक्ष में जारी किया जाए या
- बोर्ड रसीद संख्यादिनांक

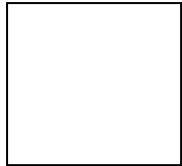
(ख) परीक्षाओं का विवरण, जिनमें मैंने भाग लिया है और भाग ले रहा हूँ, निम्नलिखित है।

परीक्षा का नाम	परीक्षा का वर्ष और मास	अनुक्रमांक	परिणाम उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण
1			
2			
3			
4			

(ग) संलग्न मूल प्रमाण पत्रों की सूची

1.
2.
3.
4.

अखबार की कतरन जिसमें मैंने अपने नाम में बदलाव की सूचना दे रखी है। यहां चिपकाई गई है।



समाचार पत्र का नाम.....

प्रकाशन स्थान.....

प्रकाशन तिथि.....

नाम में प्रस्तावित बदलाव (स्पेलिंग,
सरनेम या सब कास्ट) विज्ञापन के अनुसार
होना चाहिए

आवेदक के हस्ताक्षर

पूराने नाम के साथ

पूर्ण पता

.....

.....

पिन कोड.....

फोन न0.....

तारीख :.....

(बोर्ड कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

नाम में परिवर्तन से संबन्धित सभी औपचारिकताएं
आवेदक द्वारा नियमानुसार पूरी कर ली गई हैं;
आवेदक के परीक्षा परिणाम से संबंधित सभी पहलुओं/बिन्दुओं
की जांच कर ली गई है। अब बोर्ड के दस्तावेजों
में आवेदक का नामउर्फ...../
नाम/पिता/माता का नाम से
होगा।

अन्तिम आदेश

नाम में प्रस्तावित परिवर्तन की
अनुमति दी जाती है।

लिपिक

सहायक

अधीक्षक

सहायक सचिव

उन छात्रों के लिए घोषणा जिन्होंने केवल दसवीं या ग्यारहवीं भाग-1 या भाग-2 परीक्षा पास की है
और बोर्ड में नामांकित (एनरोल) नहीं है।
(आवेदक अपना पुराना नाम संबंधित घोषणा में लिखें और हस्ताक्षर करें)

घोषणा संख्या 1

मैंपुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है और
अभी तक इस बोर्ड में नामांकन नहीं करवाया है।

हस्ताक्षर

सत्यापित करने वाले अधिकारी

का नाम व पद.....

(कार्यालय मोहर)

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

उन विद्यार्थियों की तरफ से घोषणा जिन्होंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है, लेकिन प्राइवेट (स्वयंपाठी) पढाई की है।

घोषणा संख्या 02

मैंपुत्र/पुत्रीसत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला नहीं लिया है, लेकिन प्राइवेट (स्वयंपाठी)पढाई की है।

हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता अधिकारी का

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

पद-नाम

कार्यालय मोहर

विभाग के मुखिया द्वारा प्रमाण पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण पत्र संख्या 01

निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को अग्रेषित है :-

क) इस परिवर्तन से कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

ख) आवेदक इस कार्यालय में.....से नौकरी (सेवा)कर रहा है।

ग) पीछे की प्रविष्टियां जांच ली गई है और सही पाई गई है।

हस्ताक्षर

पद-नाम

कार्यालय मोहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र उन प्रार्थियों के लिए है जो सेवा में है लेकिन कभी भी शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में हाजिर नहीं रहे है। ऐसे आवेदकों को अपना प्रार्थना पत्र उस संस्थान के मुखिया की तरफ से भेजना चाहिए जहां वे सेवारत है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मान्यता प्राप्त संस्था के मुखिया या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रमाण पत्र :

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाण पत्र संख्या 02

निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को अग्रेषित है :-

क)इस परिवर्तन से कार्यालय को आपत्ति नहीं है।

ख) आवेदक वर्षमें इस विद्यालय/संस्था की कक्षा का विद्यार्थी था/है।

ग)पीछे की प्रविष्टियां जांच ली गई है और सही पाई गई है।

हस्ताक्षर

पद-नाम

कार्यालय मोहर.....

हलफनामा संख्या 1, 2 और 3 का स्टॉप पेपर पर जारी करें।

संख्या-01

नाबालिग आवेदक की स्थिति में हलफनामा पत्र (आवेदक संबंधित हलफनामों पर अपने पुराने नाम से हस्ताक्षर करें)

मैंपुत्र/पुत्रीसत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री आश्रित (Ward) अट्ठारह वर्ष से कम आयु है और उसने अपना नामसे अबमेरी सहमति से बदल लिया है और वह एक ही व्यक्ति है।

हस्ताक्षर

मजिस्ट्रेट (न्यायाधिकारी)

स्थान

कार्यालय मोहर

आश्रित/पिता/अभिभावक

पूरा पता

पिन कोड.....

मोबाईल न0.

संख्या -02

बालिग आवेदकों की स्थिति में हलफनामा पत्र

मैं (पुराना नाम)पुत्र/पुत्री श्रीसत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं बालिग (अट्ठारह वर्ष से ऊपर) हूँ और मैंने नामसे अबबदल लिया है और यह कि मैं एक ही व्यक्ति हूँ।

हस्ताक्षर

(न्यायाधिकारी)

स्थान

कार्यालय मोहर

शपथकार

आवेदक (पुराना नाम)

पूरा पता

.....

संख्या -03

विवाहित महिला आवेदक की स्थिति में हलफनामा पत्र

मैं (पुराना नाम)पुत्री श्रीशपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं बालिग (अट्ठारह वर्ष से ऊपर) हूँ और मैंने नामसे अबविवाह के कारण बदल लिया है और मैं एक ही व्यक्ति हूँ।

हस्ताक्षर

(न्यायाधिकारी)

स्थान

कार्यालययी मोहर

शपथकार

आवेदक (पुराना नाम)

पूरा पता

.....

सेना के व्यक्ति के आवेदन की स्थिति में अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफीसर द्वारा प्रमाणित।

केवल निम्नलिखित व्यक्तियों से प्रतिहस्ताक्षरित स्वीकार किए जाएंगे :

1. राजपत्रित अधिकारी 2. प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3. हेड मास्टर/प्राचार्य मान्यता प्राप्त स्कूल या संबंधित महाविद्यालय का 4. बोर्ड का वह अधिकारी जो सहायक सचिव से नीचे के स्तर (रैंक) का ना हो।

व्यक्ति स्वयं ही अपने नाम परिवर्तन के लिए स्वयं ही अपना आवेदन करेगा/भरेगा।

क. नियमित विद्यार्थी की स्थिति में उसके द्वारा प्रवेश लिए गए अन्तिम विद्यालय/महाविद्यालय के मुखिया/प्राचार्य द्वारा।

ख. स्वयंपाठी विद्यार्थी की स्थिति में एक राजपत्रित अधिकारी या किसी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुखिया/प्राचार्य या शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो सहायक सचिव के पद से कम न हो या सरकारी कर्मचारी की स्थिति में संस्था के मुखिया द्वारा जिसमें वह कार्यरत है।

संलग्न करें

- i. निर्धारित शुल्क: 500/—रुपये प्रमाण-पत्र शुल्क जमा 300/—रुपये प्रति शुद्ध शुल्क या अधिकतम शुल्क 1100/—रुपये।
- ii. उसके माता-पिता या संरक्षक द्वारा यदि वह नाबालिग है यदि वह बालिग है तो स्वयं द्वारा दण्डाधिकारी के समक्ष अपने वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से सम्बन्धित हलफनामा।
- iii. दैनिक समाचार पत्र के विज्ञापन की कतरन जिसमें प्रस्तावित नाम परिवर्तन का विज्ञापन किया है।
- iv. उपनाम में परिवर्तन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रस्तावित नाम और पहले से दर्शाए गए नाम में कोई संबंध नहीं है यह नियम उन महिलाओं पर लागू नहीं होता जिन्हें शादी के कारण अपना नाम बदलना पड़ता है।
- v. जिस महिला प्रार्थी को शादी के कारण अपना नाम बदलना पड़ता है। उसे केवल मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित एक हलफनामा ही जमा करवाना है। किसी अखबार में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।
- vi. बदले हुए नाम के साथ अनुलिपि प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क की अदायगी एवं मूल प्रमाण पत्र लौटाने की स्थिति में ही जारी किया जा सकता है। यह शुल्क उस शुल्क से अतिरिक्त होगा जो नाम परिवर्तन के लिए अदा किया गया है।

नोट: — किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।